

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023 — वैशाख 29, शक 1945

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-7/2019/16.— कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 53 का लोप किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2023

क्रमांक एफ 10-7/2019/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-7/2019/16, दिनांक 10 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2023

NOTIFICATION

No. F-10-7/2019/16 .— In exercise of the powers conferred by Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Factories Rules, 1962, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

Rule 53 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHUTOSH PANDAY, Deputy Secretary.